हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

शनिवार, 27 अगस्त, 2016/5 भाद्रपद,1938 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2)) **अतारांकित :**

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-2016;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, अनुभाग अधिकारी/सहायक पंजीयक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)-बी(2)9/99 दिनांक 16.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.06.2016 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के गठन की अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)-बी(1)-1/98-पार्ट दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निबन्धन और शर्तें(अध्यक्ष और सदस्य) प्रथम संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)-बी(1)-1/98-III दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित; और

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर(कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया)(प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)-डी(3)-4/2001-III दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित ।

(2) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, कुशल ग्राफ्टर/मुख्य माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एच0टी0सी0-बी(2)-3/2000 दिनांक 27.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.08.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** संस्था अधनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना एवं अधिकार व प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;

(ii) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;

(iv) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:ईन्ड-ए-(ए) 3-2/99(ईस्ट)-I दिनांक 23.12.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.01.2016 को प्रकाशित ।

(5) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(5) के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा) हि0प्र0 द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **152वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **153वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **154वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **149वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 87वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति का **150वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 134वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति का **151वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 136वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **28वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **38वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 6वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री महेन्द्र सिंह**, "**धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत टिहरा-चोलथरा-रखोह में पेयजल की नियमित आपूर्ति न होने**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज**, "**इन्दिरा गान्धी मेडिकल कॉलेज, शिमला में कार्यरत्त SRL Diagnostics द्वारा खून की जाँच में बिमारियों की गलत रिपोर्ट तथा Liver से सम्बन्धित Test की मशीन न होने**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(3) **श्री रणधीर शर्मा**, " **जिला अस्पताल, बिलासपुर में डाक्टरों की कमी के कारण, दो माह से ऑपरेशन न होने**" से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 19)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि विद्या, अध्यापन, अनुसंधान के उद्देश्य की अभिवृद्धि के लिए और विधि के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 15)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 19)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 18)

हिमाचल प्रदेश राज्य में खुली सिगरेटों और बीड़ियों का विक्रय प्रतिषिद्ध करने तथा सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन करने तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iv) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि

औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 20)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 (1940 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(v) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 14)

ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(vi) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 16)

अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(vii) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2016

(2016 का विधेयक संख्यांक 17)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर (31-जोगिन्द्रनगर),** जोगिन्द्रनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: कुछेक उच्च पाठशालाओं में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री रविन्द्र सिंह (10-देहरा),** जिला कांगड़ा के अन्तर्गत राजकीय उच्च विद्यालय, त्रिपल के भवन का निर्माण कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत चुवाड़ी क्षेत्र हेतु वैकल्पिक सड़क का निर्माण जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री रविन्द्र सिंह (10-देहरा),** प्रदेश में वर्तमान में टैट (TET) एवं जिला कांगड़ा में जे0बी0टी0(J.B.T.) उतीर्ण अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ कर नियुक्ति करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री कुलदीप कुमार (41-चिन्तपुरनी),** चिन्तपुरनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय उच्च पाठशाला, घगोह में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों से छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री महेन्द्र सिंह (32-धर्मपुर),** वर्ष 1993 में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में भर्ती किए गये पम्प ऑपरेटरों हेतु पृथक भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने तथा पंजाब की तर्ज़ पर वेतनमान और पदोन्नति का लाभ देने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री कुलदीप कुमार (41-चिन्तपुरनी),** चिन्तपुरनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सपौरा व धर्मशाला महन्ता के लोगों को सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समोट का उन्नयन करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(9) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** पच्छाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदो को शीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(10) **श्री सुरेश कुमार (55-पच्छाद),** जिला सिरमौर में बसों की कमी के दृष्टिगत लोगों को हो रही असुविधा के मद्देनज़र नाहन व सोलन डिपो हेतु 30 मिनी बसें जनहित में उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(11) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मजदूर कल्याण बोर्ड द्वारा धन के दुरूपयोग को रोकने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(12) **श्री महेश्वर सिंह (23-कुल्लू),** नगर निगम, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों द्वारा पेयजल व मल-प्रवाह बिलों में प्रतिवर्ष की जा रही बढ़ोत्तरी बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(13) **श्री महेन्द्र सिंह (32-धर्मपुर),** पंचायती राज विभाग में कार्यरत्त पंचायत चौकीदारों एवं ग्रामीण रोजगार सेवकों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र नियमित करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री महेन्द्र सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश की वर्तमान परिवहन नीति पर यह सदन विचार करे।"

8. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

श्री इन्द्र सिह, "दिनांक 24 अगस्त, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3364 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 26 अगस्त, 2016 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)